



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या: 08-अ0प्र0(2अ)/पाकालि/2017

दिनांक 03 अप्रैल, 2017

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहृत में एतदद्वारा निम्नांकित अधीक्षण अभियन्ता (वै0 एवं यां0) को मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (वै0 एवं यां0) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ सं0-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित कार्यालय/निगम में तैनात/आबण्टित किया जाता है। उक्त अभियन्ता कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (वै0 एवं यां0) के पद पर नियुक्त होंगे :-

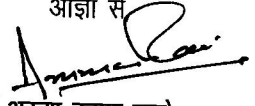
क्र0 सं0	नाम/अभि0 संख्या/गृह जनपद/ सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान पद एवं तैनाती का कार्यालय/स्थान	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (वै0 एवं यां0) के पद पर प्रोन्नति के पश्चात पदनाम एवं तैनाती कार्यालय/आबण्टित निगम
1	2	3	4
1.	श्री कल्याण लाल श्रीवास्तव/ 86033/वाराणसी/ 31.01.2019	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत कार्य मण्डल, पूर्वविनिलि, बरती	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी (रिक्त पद के विरुद्ध)
2.	श्री प्रमोद कुमार तिवारी/ 86159/कानपुर/30.06.2020	अधीक्षण अभियन्ता (संबद्ध) निदेशक(वाणिज्य), ट्रान्सको, लखनऊ	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा (रिक्त पद के विरुद्ध)
3.	श्री रिछ पाल सिंह तोमर/ 86034/मेरठ/31.01.2021	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, दविविनिलि, मथुरा	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा (रिक्त पद के विरुद्ध)

- 2- उपरोक्त को मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, (वै0 एवं यां0) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि किन्हीं कारणवश निदेशक के पद पर नियुक्त पाकालि संवर्ग के अभियन्ता अधिकारी की अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित होने की स्थिति में कनिष्ठतम मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, स्वतः अधीक्षण अभियन्ता, (वै0 एवं यां0) के पद पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।
- 3- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- 4- निगम को आबण्टित अधिकारी की तैनाती उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अनुरूप सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बन्धित निगम के प्रबन्ध निदेशक का होगा।
- 5- उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
- 6- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 08-अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2017 तद्दिनांक

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- मा0 ऊर्जा मंत्री/मा0 उर्जा राज्य मंत्री के निजी सचिव, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
 - 2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 3- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
 - 4- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रान्समिशन का0लि0।
 - 5- समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 6- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
 - 7- उप सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 8- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से

(अरूण कुमार राय)
उप सचिव (2अ)